IV

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Civil Defence Bill, 1968, as passed hy Lok Sabha at its sitting held on the 7th May, 1968."

Sir, I beg to lay a copy of each of the Pondicherry (Extension of Laws) Bill, 1968 and the Civil Defence Bill, 1968.

.ANNOUNCEMENT *RE* IMPRISONMENT OF SHRI G. BARBORA

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that I have received the following communication from the Judicial Magistrate, New Delhi dated -the 8th May, 1968: —

"I have the honour to inform you that Shri Golap Barbora, Member of the Rajya Sabha was tried at the New Delhi Courts before me on a charge of section 188 I.P.C, foriolating the prohibitory orders promulgated u|s. 144 Cr. P.C. and 1 leading a demonstration and shouting slogans on 8-5-68 at .1-40 P.M. j at Patel ChowTt, New Delhi to which ! he pleaded guilty.

2. On 8-5-68 after a trial lasting for today, I found him guilty of the offence ujs. 188 I.P.C. and 1 sentenced him to simple imprison- | ment for 10 days.

3. He is at present lodged in the Central Jail, Tihar."

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् . . . . .

MR. CHAIRMAN: Next item, no ■more.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था ।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

माननीया, मेरा निवेदन यह है कि श्री गोलप बरबोरा जो कि जेल में रखे गये हैं . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I . think what the Chairman has ruled is final. No more.

श्री राजनारायण : चेयरमैन ने तो कहा कि हम जा रहे हैं, आप आ रही हैं, वह गये और आप आई । मैं आपको जानकारी दे रहा हूं । श्री गोलप बरबोरा तिहाड़ जेल में बन्द हैं, मगर रात को यह खबर आई कि उनके पास और उनके साथ जो गये उनके पास, किसी के पास, कोई बिस्तर नहीं है । उनके लिये किसी तरह की समुचित व्यवस्था नहीं है । ये पार्लियामेंट के मेम्बर हैं । तो उनके लिये समुचित व्यवस्था हो । एक बेड न हो, चारपाई न हो, क्या है ? मैं चाहता हूं माननीया कि आप सरकार को आदेश दें कि सरकार यह देखे कि उन लोगों के लिये उचित व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही ह ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more. That will do. Next item.

I. MOTION SUGGESTING REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON APRIL 15, 1968, IN RELATION TO UTTAR PRADESH.

II. RESOLUTION *RE* PRESIDENTIAL PROCLAMATION OF 15TH APRIL, 1968 VARYING THE PROCLAMATION ISSUED ON 25TH FEBRUARY, 1068, IN RELATION TO THE STATE OF UTTAR PRADESH—contd.

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीया, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, वह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसकी हम इस प्रजातंत्र में आशा नहीं कर सकते थे और न इसकी कल्पना ही कर सकते थे । मैं प्रारम्भ से ही वहां पर रहा और जब से संविद की सरकार बनी उस सरकार में भी रहने का

मुझे अवसर मिला । मंत्रिमंडल में मैं था। जैसा कि राज्यपाल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संविद के आपस के झगड़े के कारण ऐसी परिस्थिति आ गई, तो पूरी रिपोर्ट देखने के बाद भी और जितने भी तथ्य हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने के पश्चात् भी हम अभी भी यह नहीं समझ पाये हैं कि संविद के आपस के कौन-से झगड़े ऐसे थे, जिनके कारण संविद के सदस्यों की संख्या कांग्रेस के सदस्यों की संख्या से कम हो गई, ऐसी कोई प्रमाण न तो राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में दिया है और न हमें देखने को मिला है ।

मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल का जो कार्य है, वह यह नहीं है कि वह इस बात को देखें कि दोनों दलों में से किस की संख्या कम है, किस की ज्यादा है, इसके लिये उपयुक्त और उचित स्थान तो सदन है । जिस समय वहां पर संविद सरकार गिरी, तो संविद सरकार इस कारण से नहीं गिरी कि संविद के जो सदस्य थे उनकी संख्या कम हो गई ; ऐसी बात नहीं थी, बल्कि संविद के जो नेता थे, उन्होंने किन्हीं कारणों से त्याग-पत्र दे दिया और त्याग-पत्र देने के पश्चात् कोई भी सदस्य संविद को छोड़ कर के नहीं गया, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह कैसे सोच लिया कि संविद अब मेजारिटी में नहीं है या बहुसंख्या में नहीं है । राज्यपाल का यह कहना कि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर स्थायी सरकार नहीं रह सकेगी, तो मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि कौन-से ऐसे तथ्य हैं, जिनके बल पर महामहिम राज्यपाल ने यह बात कही है । राज्यपाल अगर इस बात को देखना चाहते, तो उनके लिये आवश्यक बात यह थी और उचित बात यह थी कि वह संविद के जो नेता एकमत से चुने गये थे उनको आमंत्रित करते, सरकार बनाई जाती और फौरन ही सभा बुलाई जाती और उसमें यह देखने का अवसर मिल जाता कि किसके साथ बहुसंख्या है और किसके साथ अल्पसंख्या है । प्रारम्भ से ही जब से कि संविद सरकार बनी तब से कांग्रेस की तरफ से बराबर इस बात का प्रचार किया गया, प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि संविद सरकार को गिराया जाये और तोड़ने-फोड़ने की कार्यवाहियां उसकी तरफ से बराबर चलती रहीं और कई बार ऐसा अवसर आया कि सदन में यह देखने के लिये उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, तो अविश्वास का प्रस्ताव भी उनका गिर गया । इसके पश्चात् कई प्रस्तावों के ऊपर मतदान हुआ और वहां पर भी कांग्रेस को हार खानी पड़ी । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब-जब सदन में कांग्रेस ने इस बात का प्रयास किया कि संविद की सरकार को गिरा दिया जाये, तब-तब उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली । तो फिर राज्यपाल महोदय को यह कैसे पता लग गया कि नेता के हटने से संविद सरकार के सदस्यों की संख्या कम हो गई ।

अपनी रिपोर्ट में स्थायित्व के ऊपर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है । ऐसा रिपोर्ट में है । मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है । यह समझना कि राज्य में दोनों दलों में से कोई भी स्थायी सरकार नहीं बना पायेगा तो इस कारण से मध्यवर्ती चुनाव करा दें मैं समझता हूं कि यह अनुभव "एक्सपेरिमेंट" जो है, बहुत महंगा है । आप यह जानते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव में करोड़ों रुपयों का भार पड़ता है, प्रान्त के ऊपर और वह प्रान्त जो कि आर्थिक दृष्टि से देश के प्रायः सभी प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है और इन बीस वर्षों में और भी अधिक उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे प्रान्त के ऊपर केवल यह जानने के लिये कि किसकी संख्या अधिक है, उन्होंने इतना बड़ा व्यय का भार डाल दिया । क्या राज्यपाल महोदय इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि इस मध्यावधि चुनाव के पश्चात् भी सरकार स्थायी रुप से बन सकेगी ? क्या एक वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति

(श्री मान सिंह वर्मा)

आ जायेगी, में पूछना चाहता हूं । मध्यावधि चुनाव के पश्चात् भी यदि दलों की अवस्था ऐसी ही रही, ऐसा हो सकता है कि किसी के दस कम हो जायें किसी के दस ज्यादा हो जाय, तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार बनने की वही बात रही जो आज थी। तो उसके लिये करोड़ों रुपये का व्यय करके एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना मैं समझता हूं उचित बात नहीं थी। इसके लिये उचित बात यह थी कि वह संविद सरकार के नेता को जो एकमत से चुना गया था, सरकार बनाने को बुलाते ; क्योंकि मुझे ठीक प्रकार से मालूम है कि पहले राज्यपाल महोदय ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया है, उसके पश्चात् जो भी नेता चुना गया है, उसे मैं सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करूंगा। सर्वसम्मति से शुरू में विकल जी को चुना गया, उसमें एक दो व्यक्तियों ने ऐतराज़ किया था, यद्यपि वह ऐतराज़ इस योग्य नहीं था कि उसकी सुनवाई होती, तो राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि कोआर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति के द्वारा जो नेता चुना गया है, उसका रेटफिकेशन जब तक जनरल बाडी से नहीं होता तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा, अतः जो भी नेता समन्वय समिति द्वारा चुनाव जाये, उसे जनरल बाडी द्वारा रेटिफिकेशन प्राप्त होना चाहिये, उसके पश्चात् ऐसा ही हुआ कि एकमत से हरीशचन्द्र को नेता चुन लिया गया . . .

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित): कब ? 28 मार्च को ।

श्री मान सिंह वर्मा : और उसके पश्चात् उनको चुन लिया गया, एकमत से, जैसा गवर्नर महोदय चाहते थे । तो जब एकमत से जनरल बाडी ने चुन लिया, तो उसके बाद मैं यह नहीं समझता फिर कौन सी बाधा आ गई थी, उनको सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित करने में । मैं समझता हूं इसके पीछे एक ऐसा षड्यंत्र है, वैसे मैं महामहिम राज्यपाल का बड़ा आदर करता हूं, प्रारंभ से उन्होंने कुछ इस प्रकार से कार्य किया था। उन्होंने शुरू से इस बात पर सम्मति प्रकट की कि आपको नेता का चुनाव कर लेना चाहिए और वह नेता का चुनाव कर लिया गया । लेकिन इसमें कुछ थोड़ा-सा समय लगता है । आप जानते हैं राजनीति की बात है, राजनैतिक जीवन में इस तरह का समय लगता ही है । लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगा । परन्तु अन्त में जब वह एकमत से नेता चुन लिए गये उसके पश्चात् कौन सी ऐसी बाधा थी जिसके कारण उन्होंने संविद के नेता को नहीं बुलाया । इसी तरीके से मैं यह समझता हूं कि जो स्थिति उस समय हो गई थी, मैं तो यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूं कि यदि उस समय संविद के नेता को न भी बुलाते क्योंकि प्रत्येक एम० एल० ए० इस बात के लिये इच्छुक था कि सरकार बन जानी चाहिये, कोई भी इस बात के लिये तैयार नहीं था न इसको पसन्द करता था, न यह बात चाहता था कि राज्य को मध्यावधि चुनाव के खर्च में पड़ना पड़े— कि उसमें कोई हल निकल सकता था । मैं तो कहता हूं यदि राज्यपाल उस समय कांग्रेस के दल को भी बुला लेते तो शायद वह अनुभव और वह एक्सपेरिमेंट इससे सस्ता पड़ता जो कि आज राज्यपाल ने हमारे प्रान्त के ऊपर डाल दिया है । तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी मध्यावधि चुनाव के लिए इस प्रकार से यह कार्य किया है वह उचित नहीं है, न तो प्रजातांत्रिक है और न ही वह प्रांत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित ही है । अतः मैं यह समझता हूं कि जो इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन किया गया है यह प्रजातांत्रिक नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, यह अवांछित है । अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

उपसभापति : श्री शुक्ला, श्री भार्गव, (अनुपस्थित) श्री मिश्र ।

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय .....

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : वह नहीं थे, तो हमको बुला लेते ।

उपसभापति : उनके बाद आप को बुलाऊंगी ।

श्री एस० डी० मिश्र : उपसभापति महोदया मध्यावधि चुनाव का फैसला कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका साधारण तौर पर स्वागत किया जाये, परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में साल, भर के अन्दर ऐसी परिस्थिति पैदा हुइ कि यह फैसला केन्द्रीय सरकार को करना पड़ा । गवर्नर महोदय ने साल-भर इस शासन को देखा । दरअसल, उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के बाद एक साल उत्तर प्रदेश के प्रजातंत्र की कहानी को अगर देखा जाये, उपसभापति जी, तो पता यह चलता है कि जो कुछ हुआ वह लाजिकल बातें हुई हैं । अगर मैं इस सदन को 1 अप्रैल, 1967 की घटना की ओर ले जाऊं तो उस दिन क्या हुआ, खास तौर से जनसंघ के लोगों ने श्री चरण सिंह को उक सा कर और कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी से डिफेक्ट करा के यह आश्वासन चरण सिंह जी को दिलवा कि आपके मजबूत शासन में रहेंगे और आपको रखेंगे । एक स्वीकृत प्रोग्राम उन्होंने बनाया जिसको यह लोग कहते थे मिनिमम प्रोग्राम . .

श्री राजनारायण : माननीया, मैं सही कह दूं । वह 1957 की बात है ।

श्री एस० डी० मिश्र . . उस पर वोटिंग हुई और चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर गए और इस आशा पर गए हैं कि 9 दलों में उनका बहुत बड़ा बहुमत होगा और यह लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आठ दिन नहीं बीते, इन्हीं पार्टियों का इतिहास यह दिखाता है कि आपस के ट्रान्सफर में, तबादले में, कार्य में, एक दूसरे के खिलाफ भीतर कैबिनेट में लड़ते थे, अब यह बाहर लड़ने लगे । इनकी लड़ाई जनता के सामने आई......

श्री राजनारायण : कहां आई ?

श्री एस० डी० मिश्र : अखबारों में आई, उत्तर प्रदेश में आई, देश में आई और कहां आती ? चरण सिंह का खुद बयान है जो मैं आपके सामने रखूंगा ।

श्री जे० पी० यादव (बिहार) : आपके यहां लड़ाई हुई तभी तो चरण सिंह छोड़ चले आपको ।

(Interuption)

श्री एस० डी० मिश्र : आप जब कहेंगे सुन लूंगा । कृपया जब मैं कहूं आप सुना करें ।

श्री राजनारायण : आप शब्द का प्रयोग चेयर के लिये होता है ।

श्री एस० डी० मिश्र : मैं यह कह रहा था कि जो कुछ हुआ है यह संविद की वजह से हुआ है । हम लोग, कांग्रेस के लोग, यह समझते हैं कि हो सकता है बीस साल के कांग्रेस के शासन में कमी आई, मैं यह नहीं कहता सभी कुछ अच्छा हुआ, कम से कम जनता इस आशा में थी और हम कांग्रेस वाले भी इस आशा में थे कि संविद की सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े मेनीफैस्टो प्रसारित किये, बड़ी बड़ी बातें कीं, शायद हो सकता है कोई अच्छी चीज दीख जाये, अगर यह अच्छी चीज करेंगे तो हो सकता है हमारे में भी कुछ सुधार आए । लेकिन हमने देखा, साल भर की उनकी कहानी लड़ाई झगड़े की कहानी है । इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी, हर काम वही करो जो कि अगले चुनाव से ताल्लुक रखता हो, आपस में अंदर कंपिटीशन करते थे, कैबिनेट में कोई फैसला हो के बाहर उनके घटक थे, जो एक एक दल के थे, वह एक का विरोध एक करते थे । चरण सिंह ने खुद बयान दिया, अखबारों में भी आया । मेरे पास उनके एक दो बयान हैं । उन्होंने कहा है। [In mid February he said about multi-party Government:

> "It was a new experiment no doubt, but it has not been a happy experiment."

On February llth, said at a public meeting;

"Because of the divergent views and policies of the constituent units of the S.V.D., the pace of development in the State had been low"—almost nil.

On February 18th, he said:

"It is a pity that none of the parties who constituted the S.V.D. had patriotic interests for the State or the country."

अब कांग्रेस वाले दस महीने चुप रहे, इसीलिए चुप रहे कि अगर वह बोलें तो यह घटक जो हैं, यह दल कहेंगे कि कांग्रेस वाले मदद कर रहे हैं, इसलिए यह सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस वाले तो यह चाहते थे। लेकिन हमें तो दुःख है कि उनकी सरकार जल्दी गिर गई, उनके कारनामों का और भंडाफोड़ नहीं हुआ, अगर उनके कारनामे साल भर और चलाते तो उनका भंडाफोड़ हो गया होता, क्योंकि जो आश्वासन उन्होंने दिया था कि ये ये योजनाएं करेंगे और जो 19 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने बनाया था, जब असेम्बली में वोटिंग का समय हुआ तो इनका क्या हुआ . . .

(Interuption)

श्री राजनारायण : यह मेडन स्पीच है उनकी।

उपसभापति : नहीं उनकी मेडन स्पीच नहीं है। मगर इण्टरप्ट न करें।

श्री एस० डी० मिश्र : तो उपसभापति जी, इस मध्यावधि चुनाव से किसी को खुशी नहीं है, बल्कि दुःख है कि लेकिन प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए यदि आवश्यक है तो इसे करना चाहिये।

अभी मानसिंह जी ने कहा और मैं सुन रहा था, वह कह रहे थे कि बहुमत था इस संविद का। बहुमत की दुर्दशा किसने की? श्री चरणसिंह ने क्या लिखा गवर्नर को। उन्होने लेटर लिखा जो कि सर्कुलेट हुआ है। उन्होंने क्या लिखा, वह पूरा लेटर तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ हिस्सा बताता हूं। उन्हों ने कहा :

"I would advise that you may be pleased to exercise your power mentioned in article 174(2) (b) of the Constitution of India, that is, to dissolve the Legislative Assembly and hold a mid-term election in order to ascertain the wishes of the people in regard to the political party or parties which they would in the circumstances, like to run a stable Government for them."

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : फिर यह जो बात आपने नोट की है और आप यह मान चुके हैं कि अगर वह न हो तो। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह 'तो' वाला जो पोर्शन है उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिये।

श्री एस० डी० मिश्र : उन्होंने कहा जो कि हाउस में रखा गया है। उन्होंने यह कहा कि चूंकि संविद का बहुमत है, इस लिये संविद के नेता को बुलाया जाये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या संविद के चुनाव में छीछालेदर नहीं हुई थी। पहले एक बार यह कहा गया कि श्री रामचन्द्र विकल चुने गये हैं और उसके बाद दूसरी बार यह कहा गया कि श्री हरीशचन्द्र जी चुने गये हैं। जब श्री हरीशचन्द्र जी चुने गये तो तमाम दल के लोगों ने, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने और स्वतंत्र मेम्बरों ने यह कहा कि हम लोग इसमें शामिल नहीं थे।

श्री राजनारायण : यह असत्य बोलना है।

SHRI A. D. MAKI (Madhya Pradesh): On a point of order. He is making his maiden speech in this House. It is a matter of courtesy to

allow him to go on without inter-ruptions.

श्री एस० डी० मिश्र : उप सभापति महोदय, सही बात यह है कि ये लोग अनप्लेजेंट बात सुनना नहीं चाहते हैं । जब ये सुनाते हैं तो हम चुपचाप सुन लेते हैं और जब हम सुनाते हैं तो इन्हें भी चुपचाप सुन लेना चाहिये और जो कुछ जवाब हो वह अपनी स्पीच में दे देना चाहिये । लेकिन ये लोग अनप्लेजेंट बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं । जब हरीशचन्द्र जी यहां आये थे तो वे यह कह कर यहां आये थे कि संविद को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिये; क्योंकि उनके पीछे 227 वोट्स हैं और उनका बहुमत है । श्री चन्द्रभानु गुप्त ने एक लैटर गवर्नर को लिखा कि हमारा सदन में बहुमत है । हमारी पार्टी में 225 सदस्य हैं । उन्होंने 18 आदमियों का नाम भी दिया जो कि उनको सहयोग देने के लिए तैयार थे । गवर्नर ने वे नाम तो प्रकाशित नहीं किये और वह कर भी कैसे सकता था, लेकिन मेरी फाइल में वे हैं और हम निकालकर बतला सकते हैं । जनसंघ के लोग कांग्रेस में आये और उन्होंने बयान दिया कि हम कांग्रेस में आ गये हैं । उन लोगों को तरह तरह की धमकियां दी गई थीं । इस तरह से जब जनसंघ वालों ने 18 आदमियों के बारे में छीछालेदर की तो गवर्नर ने कहा कि हम इस बारे में राय असर्टेन करेंगे । उस समय संविद के जो नेता थे श्री हरीशचन्द्र, उन्होंने कहा नहीं, आप पब्लिकली सब का नाम लीजिये और तब ही हम असर्टेन की बात कहेंगे ।

जहां तक कांग्रेस दल के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त की बात है, जब पहली अप्रैल को बजट पर वोटिंग हुई और वे हार गये तो वे अपनी सीट से सीधे उठ कर गवर्नमेंट हाउस गये और अपना इस्तीफा दे दिया । इन लोगों का क्या रिकार्ड है । जब एस० एस० पी० के मिनिस्टरों ने रिजाइन संविद की सरकार से कर दिया तो इनके दल में प्रतिस्पर्धा हो गई । एक दूसरे से कम्पिटीशन रिजाइन करने के बारे में शुरु हो गया । कम्युनिस्टों ने कहा कि हम एस० एस० पी० से पीछे कैसे रहें । इस तरह से हर तरह से घटकों में कम्पटीशन होने लगा एक दूसरे के खिलाफ़ ब्लैक फ्लैग दिखाने में भी कम्पिटीशन होने लगा । जनसंघ और एस० एस० पी० वाले गवर्नमेंट में एक साथ बैठे हैं, मगर वे एक दूसरे को ब्लैक फ्लैग दिखला रहे हैं । इस तरह से वहां पर घटकों ने अपोजीशन का पार्ट अदा किया । तो ऐसी हालत में अगर किसी को शिकायत हो सकती है तो वह कांग्रेसजनों को हो सकती है कि गवर्नर ने उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, जबकि उनका बहुमत था । गवर्नमेंट ने यह उचित नहीं समझा कि कांग्रेस के नेता श्री चन्द्रभान गुप्त को बुलाये और उनको मुख्य मंत्री बना दे । परन्तु उन्होंने नहीं किया, केवल इसलिये नहीं किया कि वे भी शायद स्थायी सरकार प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई स्टेबिल सरकार नहीं दे सकते हैं । अगर कोई शिकायत उत्तर प्रदेश के संबंध में हो सकती है तो वह कांग्रेसजनों को हो सकती है । लेकिन कांग्रेसजनों ने इस चीज को इसलिये स्वीकार किया कि प्रजातन्त्र की हत्या न हो । जैसे ही संविद सरकार गई, तो उसके संबंध में लोग कहने लगे कि वह स्वयं विनाशक दल है, संयुक्त दल नहीं है । स्वयं विनाशक दल ने अपना नाश खुद किया और खुद करते रहे । तो हमारा जो यह विनाशक दल है वह दूसरों को अपने विनाश के लिए क्यों कोसता है? मुझे तो इस बात का दुःख है कि यह विनाशक दल एक साल के अन्दर ही चला गया । लेकिन इस अर्से में भी जितने प्रोग्राम उन्होंने किये वे कोई भी प्रोग्राम नहीं थे, कोई स्थायी प्रोग्राम नहीं थे । उन्होंने चुनाव के पहले कर्मचारियों को जो आशा दी थी, उसका एक अंश भी उन्होंने पूरा नहीं किया । ऐसी हालत में श्री मानसिंह का यह कहना कि सभी कांग्रेसजनों ने उत्तर प्रदेश

[श्री एस० डी० मिश्र]

में इस तरह की हालत पैदा की, यह कहना मेरी समझ में उचित नहीं है।

उपसभापति जी, श्री चव्हाण साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव भूपेश गुप्त ने रखा है, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह सही हुआ है। अगर कोई बात हो सकती है तो वह यह हो सकती थी कि गवर्नर को श्री चन्द्रभानु गुप्त को बुलाना चाहिये था और उन्हें मुख्य मंत्री बनाना चाहिये था।

श्री राजनारायण : उपसभापति महोदया, इस समय हम लोग एक संवैधानिक स्थिति पर विचार कर रहे हैं। मैं इधर उधर नहीं जाना चाहूंगा। श्री राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो खत लिखा है . . .

श्री महेश्वर नाथ कौल : किस तारीख को ?

श्री राजनारायण : 10 अप्रैल, 1968 को। मैं चाहूंगा कि सदन के जिम्मेदार सदस्य कम से कम इस को पढ़ लें अवश्य। यह इतनी असंगतियों का पिटारा है, फुल आफ कांट्रेडिक्शन है और इसको देख कर कोई भी समझ सकता है कि राज्यपाल ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया या नहीं किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनके ऊपर जो संवैधानिक कर्त्तव्य आता था, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। उसको उन्होंने पूरी तरह से तोड़ा है और इस संबंध में दो-तीन बातें पढ़ देना चाहता हूं।

"I have therefore no convincing proof to satisfy me that the Samyukta Vidhayak Dal would be able to command a stable majority; on the other hand, the uncertainty is clear."

अब यह कहते हैं कि संयुक्त विधायक दल का बहुमत है और वह स्टेबिल सरकार बना सकती है, लेकिन उसके पास कंविंसिग मेजारिटी नहीं थी और वह प्रान्त में एक स्थायी सरकार नहीं बना सकती थी। उन्होंने जो यह बात कही, तो मैं इसका उत्तर पूछना चाहता हूं और सदन में कोई व्यक्ति दे सकता है तो हमारे मिश्र जी दे सकते हैं। जो चुनाव होंगे, आगामी जो चुनाव होंगे क्या उसमें इससे भी बुरा नतीजा नहीं निकल सकता है? आगामी चुनाव में दलों की स्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस तरह से जो दो दल, तीन दल मिलकर एक सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए राज्यपाल का यह कहना कि उसके पास कंविंसिग मेजारिटी नहीं थी, यह बिल्कुल गलत बात है। कंविंसिग मेजारिटी केवल सदन में ही आ सकती है और सदन को बुलाया जाता। सदन के अन्दर राज्यपाल साहब को पता चल जाता कि कंविंसिग मेजारिटी है या नहीं है। जब सदन में कोई प्रस्ताव आये, सरकार का कोई मोशन आये, बजट आये, तब ही इस बात का फैसला हो सकता है। अगर कंविंसिग मेजारिटी से कोई चीज पास हो जाएगी, तो वहां पर कंविंसिग मेजारिटी मान ली जायेगी। इसके पूर्व जो कंविंसिग मेजारिटी की बात कहते हैं वे मूर्ख हैं। यह एक संसदीय प्रथा है कि जब जब किसी समय वोटिंग हो, तो जो वोट करने वाला है, वह अपना मत तत्काल भी बदल सकता है, यानी वोटिंग करते करते भी इन्सान अपना मत बदल सकता है। यह संसदीय प्रथा में खूब अच्छी तरह मानी हुई बात है। इसलिए कंविंसिग मेजारिटी की कसौटी तब ही हो सकती है, जब सदन को बुलाया जाता। संविद की सरकार पर कांग्रेस ने नो-कांफिडेंस का मोशन दिया, अविश्वास का प्रस्ताव दिया, जो पूरी तरह ध्वस्त हुआ, गिरा, यानी जब

सदन उठा, उसके पूर्व कंविसिंग मेजारिटी की जितनी कसौटी थी, सभी कसौटी पर संविद खरी उतरी। इसलिए राज्यपाल अब यह हर्गिज नहीं कह सकता कि कंविंसिंग मेजारिटी नहीं थी। हाँ, यह सही है और मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं कि जो विभिन्न घटक थे, उन घटकों में...

श्री एस० डी० मिश्र : आप यह बतायें कि इस साल भर के दौरान में राज्य सभा और कौंसिल के जो चुनाव हुये उनमें क्या नतीजा निकला ? क्या यह सही नहीं है कि सभी सीटें लगभग कांग्रेस को मिलीं वहाँ। क्या यह कंविंसिंग मेजारिटी का सबूत नहीं है ?

श्री राजनारायण : मैं बता देता हूं। अभी असल में यह बहुत लेट आये हैं राजनीति में यहाँ।

श्री एस० डी० मिश्र : आपसे पहले यहाँ था।

श्री राजनारायण : हाँ, जरूर रहे होंगे। हमसे पहले इन्दिरा जी प्रधान मंत्री बनीं, इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति में हमसे पुरानी हैं। छागला साहब से भी पहले बन गई, अकबर अली खां साहब से भी पहले बन गई, सम्पूर्णानन्द जी से भी पहले बन गई, श्री श्रीप्रकाश जी से भी पहले बन गई।

मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा। कांग्रेस जब तक सत्ता में नहीं थी, तब तक बराबर म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में, बराबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में हारती रही। कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में तब जीती है, जब वह सत्ता में आई है। इनको इसकी जानकारी नहीं होगी कि कांग्रेस सारे बनारस में हारी, सारे इलाहाबाद में हारी, सारे लखनऊ में हारी और उसमें बड़े बड़े दिग्गज हारे। इसलिये इस सवाल में कोई तथ्य नहीं है।

अब दूसरा प्वाइंट मैं लेना चाहता हूं। ...

एक माननीय सदस्य : इलाहाबाद में कब इलेक्शन हुआ ?

श्री राजनारायण : मैं मोतीलाल जी की बात कह रहा हूं। मैं अगले ज़माने का हूं। तो कांग्रेस ने एक लिस्ट दी थी और कांग्रेस ने जो लिस्ट दी थी उसके बारे में राज्यपाल क्या लिखते हैं।

"..It may be recalled that the Congress Party was voted out of power. They may have improved their position to a certain extent but the situation is not clear. It claims now a majority on the basis of support of certain independents and defectors from other parties. I have information that at -least 4 of these are uncertain of their support to the Congress Party."

तो चार जब निकल जाते हैं, तो मेजारिटी नहीं रह जाती है।

SHRI S. D. MISRA: Only four out of eighteen; 198 plus 18 becomes a majority.

श्री राजनारायण : माननीया, अब हमारा प्वाइंट यह है कि कांग्रेस आउट आफ पावर हुई, हारी, उसकी सरकार हारी और हमारी संविद सरकार बनी। संविद की सरकार सदन में कभी अल्पमत में नहीं हुई, राज्यपाल का भी मामला इसमें साफ है। अब वह कहते हैं कि जब कांग्रेस हारी तो उसके बाद उसने अपनी स्थिति कुछ सुधारी, कुछ ताकत उसकी बढ़ी। मगर फिर राज्यपाल यह कहते हैं कि जो लिस्ट हमें श्री चन्द्रभानु गुप्त ने दी, वह लिस्ट भी सही नहीं थी; क्योंकि उसी लिस्ट में से चार व्यक्तियों ने हमको लिखा कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। अगर वह चार न लिखे होते तो श्री गोपाल रेड्डी बैठा ही दिये होते, श्री चन्द्रभान गुप्त

[श्री राजनारायण]

को। इसलिये जब उन चारों ने लिख दिया तब रेड्डी साहब का कतई मुंह नहीं रह गया था, हाथ नहीं रह गया था कि वह राष्ट्रपति को लिखते कि.....

श्री एस0 डी0 मिश्र : कांग्रेस के पास 198 सदस्य थे, 18 व्यक्तियों ने यह लिख कर के गवर्नर को दिया था कि हम कांग्रेस में शामिल होते हैं। उन 18 में से चार ने फिर अपना रिवीजन किया कि हम उसमें से वापस होते हैं। 422 का हाउस है, 422 के हाउस में अगर 198 और 14 जोड़ दिये जायें तो आधे से अधिक होते हैं या नहीं यह राजनारायण जी बतायें।

श्री राजनारायण : देखिये, फिर आप के जरिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये अभी बहुत ही पीछे हैं। इनको ठीक समझना चाहिये। आँकड़े जो इन्होंने दिये, वे बिल्कुल गलत दिये। कांग्रेस की 198 की तादाद नहीं थी। 14 आदमियों की लिस्ट दी गई थी, उन 14 आदमियों में चार ने डिफेक्ट किया और दस रह गये। चाहे कांग्रेस की पोजीशन जो हो, लेकिन उनमें से दस के जोड़ने पर राज्यपाल यह बात समझते थे कि कांग्रेस का बहुमत नहीं है। उनकी रपट से यह बात बिल्कुल साफ है।

अब मैं दो-तीन बातें इस संबंध में अपने समर्थन में कहना चाहूंगा ...

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): The Governor was very fair. He did not accept the Congress, He did not accept the DaL

श्री राजनारायण : कांग्रेस को न ऐक्सेप्ट करना सत्य है, मगर कांग्रेस को न एक्सेप्ट करने के बाद संविद को न ऐक्सेप्ट करना असत्य है।

एक तिकड़म रचा गया सेंटर से और तमाम अखबारों में हल्ला मचा कि कांग्रेस का भी बहुमत है, कांग्रेस का भी बहुमत है, कांग्रेस का भी बहुमत है। मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कांग्रेस का बहुमत था तो संविद की ओर से कह दिया गया था कि अगर हमको नहीं बुला रहे हैं, तो आप कांग्रेस को ही बला लो। यह संविद की गुरुता देखिये, महिमा देखिये कि संविद ने कहा कि हम बहुमत में हैं, हम अल्पमत में हैं कभी यह सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी अगर राज्यपाल यह चाहते हैं कि हमको न बुलायें कांग्रेस का बहुमत अगर राज्यपाल की तरफ से है, तो वे कांग्रेस को बुला लें। उसको क्यों नहीं बुलाया? इसलिये नहीं बुलाया कि पहले दिन ही सारा पर्दा फाश हो जाता। जिस दिन सदन बैठता चन्द्रभानु जी को मुख्य मंत्री ले करके उसी दिन चन्द्र भानु गुप्त जी की सरकार या कमलापति जी की सरकार धड़ाम से धराशायी हो जाती। मिश्रा जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के 20 आदमी इस पर तुल कर बैठे थे कि अगर कांग्रेस को बुलायेंगे सत्ता में, तो हम बीस आदमी निकल जायेंगे। हमारे मित्र उनको अच्छी तरह से जानते हैं जो एक्स-कलेक्टर थे रामरूप सिंह जी जिनको सरकार ने एक चीनी मिल का मैनेजर बनाया था जो कि भतपूर्व एम० एल० ए० थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर एक जत्था जमा कर दिया था। मैं यह भी कह दूं कि चन्द्रभानु गुप्त जी वैसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। माननीया, आप चन्द्रभानु गुप्त जी को जानती होंगी, सब कांग्रेस वाले चन्द्रभानु गुप्त को जानते होंगे कि मामूली ढंग से वे अपने किसी अधिकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ अधिकार न हो, वहाँ भी वे बैठ जाते हैं।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिमी बंगाल) : सट्रल हाल में बैठे हैं।

श्री राजनारायण : हां, सेंट्रल हाल में बैठे हैं। इसलिये जहां उनका अधिकार हो, जहां उनकी कंविसिंग मेजारिटी हो, वहां वे कैसे छोड़ देंगे आसानी से।

बहुत से लोग यहां पर यह कहते हैं कि इन्दिरा जी, दिनेश सिंह जी उनको नहीं चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि चन्द्रभानु गुप्त जी, इन्दिरा जी, दिनेश सिंह जी से राजनीति में पीछे नहीं हैं। चन्द्रभानु गुप्त जी वह आदमी हैं कि यहां से जवाहरलाल जी जा रहे थे, पंत जी को उन्होंने यहां बुला लिया था और वे जा रहे थे लखनऊ, इसलिये, कि वे मीटिंग बुला करके विधायकों के बहुमत से एक मुख्य मंत्री चुनवायेंगे, नेता चुनवायेंगे। चन्द्रभानु गुप्त जी को जब पता चल गया कि नेहरू जी आने वाले हैं, तो उन्होंने शाम को ही कांग्रेस पार्टी को बुला करके सम्पूर्णानन्द जी को सर्वसम्मति से नेता चुनवा दिया। जब वहां पर जवाहरलाल जी पहुंचे, तो उनको पता चला कि सम्पूर्णानन्द जी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। सम्पूर्णानन्द जी की और जवाहरलाल जी की कभी पटी नहीं थी। सम्पूर्णानन्द जी जब जेल से छूटे थे, तो उन्होंने चार लेख लिखे थे : "कांग्रेस गोइंग टुवर्डस इम्पीरियलइज़म" यानी "कांग्रेस साम्राज्यशाही की ओर जा रही है"। जो भी कांग्रेस की पुरानी सियासत में रह चुके हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि नेहरू जी सम्पूर्णानन्द जी को फूटी आंख देखना पसन्द नहीं करते थे; क्योंकि सम्पूर्णानन्द जी राजनीति में ईमानदारी से और निर्भीकता से अपनी बात कहते थे। कभी भी अहिंसा के प्रति कांग्रेस की शपथ सम्पूर्णानन्द जी ने नहीं ली। जब शपथ ली जाती थी, तो वे चुप हो जाते थे। शायद उनको पता नहीं है कि सम्पूर्णानन्द जी, वे हैं जिन्होंने 1930 में सोशलिस्ट पार्टी बनारस में आर्गेनाइज़ की थी और ऐसा करने वाले वे कांग्रेस पार्टी के प्रथम सदस्य थे। इसीलिये नेहरू जी सम्पूर्णानन्द जी को चाहते नहीं थे। मैंने यह सब मिश्र जी को समझाने के लिये कहा ताकि उनके दिमाग़ में जो जाला और कोढ़ हो, वह जाला और कोढ़ कट जायें।

श्री एस० डी० मिश्र : माफ कीजिएगा यह तथ्य नहीं है।

श्री राजनारायण : मिश्र जी हमारी बात नहीं समझेंगे। यह हमारी बात तब समझते थे, जब हम इनको ले कर गये थे और यह कहा था कि यह मिश्रा हमारे साथ आया है, लड़का है, इसलिये बनारस राज्य की पहली सरकार बनी है पापुलर, उसमें यह हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा, लेकिन जब वहां इन्होंने अपने रिश्तेदारों का पट्टा करना शुरू किया, तो हमने निकाला इनको अपने दल से।

श्री एस० डी० मिश्र : यह बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिनके जवाब के लिये हमको मौका दिया जाये।

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि इनको मौका जवाब का दिया जाये। (Interruption.) हमने महेन्द्र पाल से सत्याग्रह करवा कर और किसानों से आन्दोलन करवा कर उन पट्टों को कैंसिल करवाया है। आपको मालूम है कि हमारी 32, 33 बार जेल हुई है, कांग्रेस के राज्य में।

श्री एस० डी० मिश्र : आपका भी मुझे मालूम है।

श्री राजनारायण : बैठो।

श्री एस० डी० मिश्र : आप कहेंगे तो हम भी कहेंगे।

श्री राजनारायण : अब मैं राज्यपाल का जो पक्षपात है, उसकी ओर सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा। बंगाल में स्पीकर, अध्यक्ष समाप्त किया गया। राज्यपाल यहां कहते हैं कि—

"The Speaker of the Legislative Assembly will continue to hold

[श्री राजनारायण]

office in spite of the dissolution of the Assembly unless the second proviso to article 179 of the Constitution is suspended.

फिर कहते हैं---

"It does not appear necessary to suspend the second proviso."

क्यों ? क्योंकि वहां का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है। हम लोगों ने भलमनसी की। जब उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमने कहा कि आप पद पर बने रहो। मैं जानना चाहता हूं कि अब बंगाल में 179 का सेकिण्ड प्रोविजो सस्पेंड कर दिया गया, हरियाणा में सस्पेंड कर दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश में वही केन्द्र को राज्यपाल क्यों सजेस्ट करता है कि स्पीकर बराबर कन्टीन्यू करे, एक ही पैटर्न देश के विभिन्न राज्यों में क्यों नहीं चलता ? इसलिए, हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पक्षपाती पाते हैं। वे कांग्रेस के साथ पक्षपात करते हैं और जितनी मदद वे कांग्रेस पार्टी की कर सकते हैं वह कर रहे हैं।

इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव कौंसिल क्यों नहीं डिस्साल्व हुई ? मैं जानना चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल का फंक्शन क्या है जबकि वहां असेम्बली नहीं, जब वहां सरकार नहीं है ? वहां राष्ट्रपति का शासन है तो इस समय लेजिस्लेटिव कौंसिल का क्या फंक्शन है ? लेजिस्लेटिव कौंसिल का कोई फंक्शन नहीं है। विधान परिषद आज अनावश्यक ढंग से उत्तर प्रदेश की छाती पर चढ़ी हुई है और उसके मेम्बरों को तनख्वाह मिल रही है, उनको तमाम सहूलियतें मिल रही हैं, तमाम भत्ते मिल रहे हैं। कारण क्या है ? इसलिए कि राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कांग्रेस के लोग जो इधर उधर हारे हैं, गिरे हैं, अगर यह खत्म हो जायगा तो एक और बोझ कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा, इसलिए उनको रहने दो। एक बड़ी मजेदार बात इन्होंने यह कही, चूंकि इनकी तनख्वाह का मामला था, इसलिए इन्होंने कहा---

"The Legislative Council cannot be dissolved. It would remain merely suspended and members of the Legislative Council would continue to draw their emoluments unless article 195 is suspended."

फिर रिपोर्ट में क्या कहते हैं---

"It does not appear necessary to suspend article 195."

मैं पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल को यह आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हुई कि 195 आर्टिकल सस्पेंड किया जाये। उत्तर प्रदेश गरीब राज्य है, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहां की विधान परिषद के सदस्यों को अनावश्यक ढंग पर बिना कोई काम किए क्यों पैसा दिया जाय, क्यों तनख्वाह दी जाय क्यों विशेष सहूलियतें दी जायें ?

माननीया, और देखिये 188 आर्टिकल के बारे में क्या कहते हैं---

"Suspesion of article 188 may be removed."

188 आर्टिकल सस्पेंड था, 188 सस्पेंड रहता तो जो कांग्रेस पार्टी के नए नए मेम्बर चुने गए उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको भत्ता नहीं मिलता। तो वही राज्यपाल यहां पर सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि जो सस्पेंशन 188 अनुच्छेद का है उसको रिमूव कर दीजिए ताकि जो नए मेम्बर चुने गए हैं वे भी तनख्वाह भत्ता पा सकें जिस तरह से दूसरे पाते हैं। चाहे जिस नुक्तेनजर से देखा जाय राज्यपाल की जो यह सिफारिश है और उस सिफारिश को मान कर जो आज उत्तर प्रदेश में एक शैतानी शासन चलाया जा रहा है उसका मैं जबरदस्त विरोध करता हूं।

दूसरे विषयों की भी चर्चा करूंगा। मैं, वहां का राज्यपाल आज किस किस तरीके से सारी मान्यताओं को तोड़ रहा है, उसको आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पन्तजी के समय में 1952 में जब वहां मैं नेता विरोधी दल था तो पन्तजी ने हमारी एक बात मानी कि गर्मी के महीनों में हमारा सेक्रेट्रेरियट नैनीताल नहीं जाएगा। हमने कहा कि अगर आप यह नहीं मानोगे तो हमारा आपका मामला आज ही बिगड़ जायगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरियट नैनीताल नहीं जायगा। ये आज नैनीताल में बैठे हैं। तमाम सचिवालय नैनीताल चला गया है। गरीब जनता को कमाई का लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। एक इन्होंने तूफाने-बदतमीजी का आर्डर निकाल दिया कि जो संविद की सरकार ने मंत्रियों के आचरण संबंधी जाँच के लिए आयोग बिठाने का विधेयक प्रस्तुत किया था उसको वापस ले लिया जाय। इन्होंने भाषा के संबंध में एक तूफाने-बदतमीजी का आदेश निकाल दिया कि जो संविद सरकार ने अंग्रेज़ी को हटाने के लिए, हिन्दी के प्रचलन और दूसरी देशी भाषाओं के प्रचलन के लिए किया था वह सब खत्म। आज के अखबारों में आप इन तमाम खबरों को पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद और सब जगह के अखबार इससे भरे हुए हैं कि आज राज्यपाल क्या कर रहा है। अगर यही करना था तो शुरु शुरू में ही राज्यपाल ने क्यों नहीं डिस्साल्व कर दिया। सस्पेण्ड इसलिए किया था कि ऐसे लोग यहां आ जायं जैसे हमारे मिश्र जी हैं।

एक माननीय सदस्य : अच्छे लोग हैं।

श्री राजनारायण : अगर डिस्साल्व कर दिया होता तो वहां से इलेक्शन होकर ये लोग कैसे आते ?

श्री एस०डी० मिश्र : आपके भी तो आए हैं। आपके 20 आदमी तो डिफेक्ट करके चले गए। यह आपका चरित्र है।

श्री राजनारायण : हम अपनी गलती को नहीं भूलते। हमने इस सदन में कहा कि हमारे कुछ लोगों ने डिफेक्ट किया। उसके लिए हम शर्मिन्दा हैं, उसके लिए हमें दुख है और इसीलिए हम चिन्तित हैं। इसीलिए हम राज्य सभा को चाहते हैं कि न रहे, विधान परिषद को चाहते हैं कि भंग हो ताकि आज पूंजीपति गरीबों के खून के शोषण के पैसे से जो पार्टियों के प्रति गद्दारी कराना सिखा रहे हैं वही पूंजीपति देश के साथ भी गद्दारी कराना सिखाएंगे। हमने उनके नाम भी लिए थे एक हैं सीताराम जयपुरिया और दूसरे हैं आर० के० पोद्दार।

माननीया, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं।

उपसभापति : अब वक्त नहीं है।

श्री राजनारायण : हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे।

माननीया, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि राज्यपाल ने क्यों शुरू में यह कहा कि संसोपा के लोग नेता के चुनाव में शामिल नहीं हुए। राज्यपाल अपने तर्कों को बदलते रहते हैं, आप ख्याल करें। एक मर्तबा उन्होंने कहा, बयान दिया कि संसोपा के लोग नेता के चुनाव में नहीं आए इसलिए हम नेता कैसे मानें तो संसोपा के लोगों ने कह दिया कि हम श्री हरिश्चन्द्र सिंह को नेता मानते हैं।

उपसभापति : समाप्त कीजिए।

श्री राजनारायण : उन्होंने कहा कि हम हरिश्चन्द्र सिंह का पूरा समर्थन करेंगे। पूरा सहयोग देंगे राज्यपाल का कोई मुंह नहीं रह गया। हरिश्चन्द्र सिंह जी राष्ट्रपति से मिलने आए. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now you must wind up.

श्री राजनारायण : मैंने 5 मिनट कह दिया अब बीच में मत टोकिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken nearly 20 minutes.

श्री राजनारायण : हमें बहुत परेशानी होती है...

उपसभापति : सब लोग 15-20 मिनट में बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोल सकते ? आपने 20 मिनट से ज्यादा लिया है।

श्री राजनारायण : इस तरफ चेयर पर बैठने वाले लोग टोकते रहेंगे तो हमारा काम करना मुश्किल हो जायेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am requesting that you should **fall** in line as the others have done.

श्री राजनारायण : मैं आप से करबद्ध विनती करता हूं कि आप मुझे 4 मिनट सुन लें।

श्री ए० डी० मणि : 5 मिनट।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. Mani. I think Members must co-operate. There are so many Members who are yet to speak. One Member cannot take 20 minutes.

श्री राजनारायण : संसोपा के सदस्यों ने वहां जाकर कह दिया तो उनका रंग बदल गया। वे समझते थे कि सर्वसम्मति से कोई नेता नहीं चुना जायगा। जब हरिश्चन्द्र जी सम्पत्ति से नेता चुन लिए गए और हरिश्चन्द्र जी राष्ट्रपति जी के यहां आए तब तक उनका दिमाग साफ नहीं था, मगर जब राष्ट्रपति जी से उन्होंने कहा कि हम फिज़ीकली, सशरीर राज्यपाल के पास अपना बहुमत सदस्यों को लेकर रख देंगे तब वे यहीं थे। 16 तारीख का दिन आता उसके पहले ही 15 अप्रैल को राष्ट्रपति जी का यह तुगलकी फरमान जारी हो गया और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा भंग होगी, अन्तरिम चुनाव होगा। मैं चाहूंगा कि तुगलकी फरमान आज जिस ढंग से राष्ट्रपति जी निकाल रहे हैं उसका निकाला जाना बन्द होना चाहिए, मर्यादा से चलना चाहिए। अगर सदन में या बाहर जनतंत्रीय मर्यादाएं भंग होंगी तो उसका परिणाम बुरा होगा। मैं बहुत ही निश्चित होकर यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की सरकार जो केन्द्र में है वह सारे देश में जनतंत्रीय धारा को सुखा रही है। जब जनतंत्रीय धारा सूख जायगी तो तानाशाही धारा आएगी, हिंसात्मक धारा आएगी।

एक बात आप देखेंगे। हम उत्तर प्रदेश से 4-5 दिन पहले आए हैं। उत्तर प्रदेश की सारी रोडवेज की जीपें आज कांग्रेस पार्टी के लिए हरयाणा के लिए बुक हो गई है। हम लोगों का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मगर कांग्रेस के चुनाव को मदद करने के लिये उत्तर प्रदेश की सारी जीपें, रोडवेज की सरकारी जीपें, आज हरियाणा में चली गई हैं। क्यों? हमको क्यों नहीं मिलती? अगर वहां पर राष्ट्रपति का शासन न होता, रेड्डी ऐसे अमर्यादित राज्यपाल न होते, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह हमारी जीपें हर्गिज हर्गिज नहीं जातीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीप नहीं गईं, हरियाणा के चुनाव में गईं, कांग्रेस पार्टी के चुनाव में हरियाणा में जीपें चली जांय, इसमें शर्म आनी चाहिये, जो जनतंत्र के पुजारी हैं, उन्हें जनतंत्र प्रणाली पर, जनतंत्र पद्धति पर चलना चाहिये। वह हर्गिज-हर्गिज इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

श्री राजनारायण : आज उत्तर प्रदेश एक भयंकर अग्नि-ज्वाला पर, क्रान्ति की ज्वाला पर खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं हमारे हाथी जी बैठे हुए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में क्रान्ति की अग्नि भभक उठी तो देश में

किसी की ताकत नहीं कि उसे संभाल सके। यह कोई छोटा राज्य नहीं, यह नौ करोड़ लोगों का राज्य है...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

श्री राजनारायण :....नौ करोड़ लोगों के राज्य में जो कि क्रान्ति के ज्वालामुखी पर खड़ा है अग्नि भड़केगी तो सारा देश खत्म हो जायेगा।

इसलिये मैं चाहूंगा कि श्री भूपेश गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति का यह तुगलकी फर्मान वहां जो राष्ट्रपति शासन रखने का है उसको खत्म किया जाय, वहां फिर से विधान सभा चले और वहां पुराने मेम्बर विधान सभा में बैठ कर काम करें। वर्ना

THE DEPUTY CHAIRMAN; **No** more, that will do. Mr. Kaul.

SHRI M. N. KAUL: Madam Deputy Chairman, I will confine myself primarily to the constitutional issues that arise in this matter. Mr. Charan Singh, when he sent his letter of resignation to the Governor, I stated that he was resigning for j reasons well known to the Governor that i_s to say, all these matters of the SVD were so public and well known that he did not consider it j necessary to state the reasons. Then] he said:

"It is obvious that it will be necessary to have another Chief Minister and a Council of Ministers. In as much as the SVD enjoys a majority in the Legislative Assembly, you might, perhaps, like to send for its new leader with a view to forming the Government. In case you do not consider **it** advisable to do so, or the Dal fails to elect a Leader, then the Congress Party having earlier gone out of power on its failure to command the confidence of the Legislative Assembly, I would advise that you may be pleased to exercise your power mentioned in Article 174(2) (b) of the Constitution of India *i.e.* to dissolve the Legislative Assembly."

I think the Governor followed the advice tendered by the outgoing Chief Minister, that is to say, he waited for a new leader of the SVD to be elected. Now in this connection, in the other place a reference has been made to a part of the Resolution passed by the Speakers' Conference. That Resolution says that the question whether the Chief Minister has lost the confidence of the Assembly shall at all times oe decided in the Assembly. That part of the Resolution of the Speakers' Conference was, I think, passed in the context of the West Bengal situation, that is to say, where there is a Chief Minister and Government in office, that Ministry should not be dismissed without an adverse vote passed in the Legislative Assembly. I myself took that view, speaking in this House on 20th November, just a day before the dismissal of the Ministry. I am glad that that view has now heen endorsed by the weighty words of the Speakers' Conference. But that part of the Resolution does not apply to U.P. When Mr. Charan Singh tendered his resignation, the position was governed by the well-known constitutional principle, namely, if the Chief Minister and leader of the party in office resigns, then it is the duty of the Governor to wait and see whether a new leader is elected by the same party. He has no right of assessment of the situation, *de novo,* in those circumstances. He must wait for some time.

The precedent of Mr. Anthony Eden in 1956 has been cited when he resigned after the Suez crisis. At that time the Queen did n'ot assess the situation de nouo. She waited for the new leader of the Conservative Party to be nominated and that was Mr. Macmillan and she tent for him. Now here too the Governor

[Shri M. N. Kaul]

strictly followed the advice tendered to him by the outgoing Chief Minister. The Chief Minister tendered his resignation on the 17th. The Governor waited for the 18th, 19th, 20th and 21st. Ordinarily, if you examine the constitutional precedents, the new leader is elected within a matter of 24 hours or 43 hours. It is not that the Governor should wait indefinitely. I think the Governor was within his rights, when the SVD failed to elect a leader till the 22nd, to assess the political situation and submit his report to the President. So the constitutional right of the SVD to have a leader of its own summoned by the Govefnor as Chief Minister lapsed when they failed to elect a leader. The Governor waited for four days. In fact, ihere was no agreement among them and they could not agree upon a leader even in the month of February. It was as late as 28th of March that they were able to agree upon a leader, as it was reported in the press. Now I have examined constitutional precedents and Sir Anthony Eden's was the latest. It is not that the Governor should wait indefinitely. I do not accept the proposition which Mr. Bhupesh Gupta developed yesterday that Mr. Charan Singh should have continued as a caretaker Chief Minister till the tangle of leadership was resolved, that is to say, the Governor should wait indefinitely. Now the Constitution of this country is not for the benefit of any single party; it is for the benefit of all the parties and it is to be enforced in accordance with certain principles.

On the 22nd the Governor reported. On the 25th the President's Rule was imposed. On the imposition of the President's Rule this phase which started with the installation of Mr. Charan Singh as Chief Minister ended and no prior right of the SVD survived after the imposition of the President's Rule. That is the constitutional position. Now what happens? During the President's Rule the Governor as such is eliminated. For 'Governor' substitute 'President' and for 'Legislature' substitute 'Parliament'.

. The position has, I think, been misconceived. While the President's Rule lasts, the Governor is not competent to form a Ministry. He is no longer functioning as a normal Governor. The second Report of the Governor was on the question of chances of forming a Ministry and whether the President should revoke the Proclamation so that the Legislature is revived and the right of the Governor to form a Ministry is also revived. Now his primary concern was to report to the President whether conditions were such as to revoke the Proclamation and revive the Legislature. The question of formation of the Government would have arisen on the revocation of the Proclamation. When the Proclamation had been revoked, then the Governor's power to summon the Chief Minister would have arisen, and' I am satisfied that at that time if any party or group of parties commanded even a majority of one, it was the duty of the Governor to have summoned that leader. He could not say that the SVD had no comfortable majority or stable majority. It would have been quite out of order to say that after the revocation of the Proclamation and the revival of the Legislature. At present there was no Legislature. The Governor is not exercising his normal powers. There is the President's Rule. He derives all his powers from the President.

There is one other factor that has to be borne in mind. In fact, in the earlier times, in the time of Prime Minister Nehru, a point was raised and the matter was discussed with the Speaker that it was not a constitutional obligation on the part of the Government to lay the Report of

the Governor on the Table, the Constitution-makers did not provide for that. The Governor's report was a confidential report and was submitted to the President. A compromise was arrived at that the Government may lay a factual summary of the report. That was a good compromise. But in recent cases, particularly since the last General Election, the Government have chosen to lay the complete report on the Table of the House and the result has been that a confidential report to the President is dissected and analysed in this House and the entire attack is concentrated on the Governor. I think that is a wrong ap-1 P.M.. proach. The Opposition attack should be concentrated on the President acting on the advice of the Central Government. The responsibility is of the Central Government and the President accepting tbat advice. They have accepted the Governor's report. The Governor's report could have been rejected by the President. The centre of attack should be the Central Government. It is because this new precedent has been set that the entire report, a confidential report, has been laid on the table and the Governor's thinking aloud, his whole process of thinking is available to the Members, that the attack is concentrated on him. I think the practice should perhaps be revised.

SHRI A. D. MANI: May I ask a question? The Parliament functions in the full glare of publicity. If the Constitution is suspended in a State, the public are entitled to know what eeommendations were made by the man on the spot and the man on the spot is the Governor.

SHRI M. N. KAUL: Yes, they are entitled to know and the original precedent was, they were entitled to know from the mouth of the Minister. The point is, this is. a confidential document. A stray word here or a stray word there is exploited. Tlie Minister in his discretion, may, in his speech, give the substance of the entire report. A document to be laid on the Table has to be vetted from a different point of view. A Minister is duty bound, when he makes his opening speech, to disclose every fact to the Parliament and if he suppresses a fact, he will not be discharging his duty. Full facts may be reported but in the Minister's speech, not taking cover under the Governor's report. The whole attack is concentrated on the Governor. The Central Government say they accept the responsibility but the attack is not directed against the Central Government with that vigour with which it would have been if the role of the Governor in reporting to the President had been properly conceived.

SHRI PITAMBAR DAS (Uttar Pradesh): What difference would it make if that document oraFy comes through the Minister or is placed on the Table of the House?

SHRI M. N. KAUL: To my mind, it makes a difference so far as the approach is concerned.

SHRI RAJNARAIN: Bourgeois democracy . . .

SHRI M. N. KAUL; The Governor says: Tn fact, the stand of the S.V.D. is that as it was in a majority when Mr. Charan Singh resigned, it may be assumed to command majority support in the Assembly and I should not embark on a verification of that fact.' That is a preposterous proposition because, as I said, tha whole chapter ended with the imposition of the President's Rule. There is no perpetual right, as it were, for the S.V.D. that till they composed their differences, the constitutional authority concerned, viz, the Governor, must wait. There is no such right under the Constitution of India. The first phase having ended and the President's Rule having been introduced, the Governor was duty-bound to make a fresh assessment of the situation for the purpose of knowing whether the Proclamation should be revocked and the Ministry-making

[Shri M. N. Kaul]

should be revived or the Assembly should be dissolved. He recommended that the Assembly should be dissolved. You may disagree with his assessment, you may say that his assessment is incorrect, you may attack his assessment but the very right to make an assessment is challenged because they are shaky about their position. The truth of the matter is, as we all know, there are certain elements who do not want to be disclosed and who are in the lists of both the parties. It is that which gives instability to the whole system. The Governor has held the scales even. I think he is one of those Governors who discharged his duties faithfully, to th* best of his ability and to the best of his judgment

श्री राजनारायण : जरा हमारे एक पोइन्ट का जवाब दीजिए। हमारे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यानी, असेम्बली डिजाल्व हो गई है और अगर श्री भूपेश गप्त का प्रस्ताव पास हो गया तो क्या डिजाल्व असेम्बली अपनी जगह पर फिर आ जायेगी —इसमें आपकी क्या राय है ?

श्री महेश्वर नाथ कौल : फिर से कहिये।

श्री राजनारायण : अगर श्री भूपेश गुप्त का प्रस्ताव पास हो जाय तो, असेम्बली ही डिजाल्व हो गई, फिर पोजिशन क्या होगी। मैं यह जानना चाहता हूं क्या हम ऐसे प्रस्ताव पर बहस नहीं कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है...

श्री महेश्वर नाथ कौल : मैंने इस मामले में अभी सोचा नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं this Government will go uot of office अगर ऐसी सिचुएशन हुई कोई तो गवर्नमेंट आऊट आफ आफिस चली जायेगी। अगर श्री भपेश गुप्त का प्रस्ताव पास हुआ तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वह चली जायेगी और आपकी जो नयी गवर्नमेंट आयेगी वह उस मसले पर फिर से सोचेगी। मैं आज सजेशन आपको कैसे दे दूं। मैं आपको क्लीयरली कह सकता हूं अगर आपका मोशन पास हो गया, तो यह गवर्नमेंट खत्म हो गई। मगर गवर्नमेंट खत्म नहीं हो सकती है...

श्री राजनारायण : असेम्बली का क्या होगा ?

श्री महेश्वर नाथ कौल : वह आपकी गवर्नमेंट आयेगी, उस मसले को देखेगी...

श्री राजनारायण : देखिये, हमारा पोइन्ट आफ आर्डर है। वैलीड पोइन्ट आफ आर्डर है जो रिजोल्युशन आज है, अगर उस रिजोल्यूशन का कोई महत्व नहीं है तो उस पर वोट क्यों ?

श्री राजनारायण : श्री भूपेश गुप्त के रिजोल्यूशन को अगर हम पास करें और उत्तर प्रदेश में इस समय विधान सभा भंग है, मेम्बर नहीं हैं, मर चुके हैं, तो क्या उनमें जिंदगी फिर आ सकती है ?

श्री महेश्वर नाथ कौल : आपका मोशन जब कैरी होगा, आपकी गवर्नमेंट जब बनेगी, उस समय जब यह सवाल उठेगा, उस वक्त मैं जरूर बोलूंगा।

nterruptions

My point lies within a narrow compass. That is to say, that the constitutional position which the S.V.D. has taken is com-

completely untenable and cannot be sustained. The Governor waited for four days and after that, their right lapsed and in any case, whatever right they had to have their leader summoned as the Chief Minister disappeared on the imposition of the President's Rule. The Governor was completely within his right to make a de *novo* assessment of the situation whether the Proclamation should be revoked or not. It is the duty of the President who acts on the advice of the Central Government to accept or reject the Governor's views. I remember a case in Rajasthan where Mr. Sampurnanand, the Governor, recommended that the Legislature should be dissolved and the Central Government reversed that advice and said: 'No, the Legislature should be suspended'. Therefore I feel that the political attack should be on the Central Government. The Governor's factual assessment accepted by the central Government may be criticised.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, The Vice Chairman (Shri Akbar Ali Khan) in the Chair.

REFERENCE TO NOTICE FOR MOTION RE. AFFIDAVIT FILED IN THE DELHI HIGH COURT RE. KUTCH AWARD

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl AKBAR ALI KHAN): Mr. T. N. Singh.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, मैं आज्ञा से एक राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में कहना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl AKBAR ALI KHAN): There is no such item in the programme of today

श्री राजनारायण : अगर गलत है तो आप बतलायें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please quote the rule.

श्री राजनारायण : मैंने आपको सैक्शन बतला दिया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You please refer me to the rule.

श्री राजनारायण : आप पहले सुन लीजिये और उसका मतलब समझ लीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): No, no, you must tell the rule so that I may look into it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI !

श्री राजनारायण : मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले आप मेरी बात सुन लीजिये ।

AKBAR ALI KHAN): It ig only then I you can speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl AKBAR ALI KHAN): I have t_0 go

श्री राजनारायण : मैं प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि यह प्रश्न देश हित के लिए महत्वपूर्ण है ।

according to the programme.

श्री राजनारायण : मैं सभी रूलों को ससपेंड करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि हमारा यह प्रस्ताव सर्वप्रथम लिया जाय ।

*